

कार्यालय उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा अजमेर मण्डल अजमेर

प्रारूप -6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

- : सेवानिवृति कार्यालय आदेश :-

परिशिष्ट-अ

निम्नलिखित वरिष्ठ अध्यापक / वशाशिक्षक / वपुअ / जो राज्य सेवा में कार्यरत हैं, को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से, सरकारी सेवा से सेवानिवृति किया जाता है।

क्र.स.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	विषय	जन्मतिथि	आधिवार्षिक आयु की पूर्ण तिथि	सेवानिवृति तिथि
1	2	3	4	5	6
1	यशपाल सिंह चौहान वअ रामावि देवखेडा अजमेर	सा0विज्ञान	01.06.1957	31.05.2017	31.05.2017
2	सुभाष वर्मा वशाशि राउमावि तबीजी अजमेर	---	25.03.1957	24.03.2017	31.03.2017
3	नारायण राम वअ रामावि हिरणी ढाणी नागौर	सा0विज्ञान	16.07.1957	15.07.2017	31.07.2017
4	नेकीराम वअ रामावि हिरणी ढाणी नागौर	हिन्दी	01.04.1957	31.03.2017	31.03.2017
5	श्री मोहनराम धोलिया वअ राउमावि शिलगांव मूण्डवा नागौर	हिन्दी	01.07.1957	30.06.2017	30.06.2017
6	राधा देवी मण्डोवरा वअ राआउमावि लेसवा मांडल भीलवाडा	अंग्रेजी	02.04.1957	01.04.2017	30.04.2017

2 यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित कार्मिकों के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।


sd.
उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा,
अजमेर मण्डल अजमेर

दिनांक: 1.02.2017

क्रमांक: उनिशि/अज/माध्य/संस्था-4/फा-से.नि./ 3376

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा - राजस्थान, बीकानेर
2. निदेशक पेंशन विभाग राजस्थान जयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक.....
3. संबंधित संस्था प्रधान / कार्मिक
4. प्रभारी संस्था-5/सामान्य-4, लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय।


उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा,
अजमेर मण्डल अजमेर